क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सिंचाई परिकल्प भवन परिसर, रूड़की -247667 हरिद्वार

पत्रांक-यूकेपीसीबी/आर0ओ0आर0/एनओसी-1650/2023/679 दिनांक: 29 .08.2023

पंजीकृत डाक द्वारा

सेवा में,

M/s Nephron Pharmaceuticals,
Kh no- 754, Vill- Sirchandi,
Bhagwanpur Industrial Area,
Roorkee, Distt- Haridwar.

Application ID- 4508432
CAF ID: 49458
CTE: Fresh

विषयः- पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु स्थापनार्थ सहमति पत्र (Consent to Establish) निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र दिनांक- 05.08.2023 के क्रम में उद्योग के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात् उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो के समुचित अनुपालन की शर्त के साथ सशर्त स्थापना हेतु सहमति पत्र (Consent to Establish) निर्गत किया जाता है।

1. स्थापना हेतु सहमति पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है:-

(क) स्थल :	Kh no- 754, Vill- Sirchandi, Bhagwanpur Industrial Area, Roorkee, Distt-Haridwar.
(ख) उत्पादन :	**1.**Tablets & Capsules- 500000000 Nos/year. **2.** Liquid oral- 50 Kl/year. **3.** Injection & Eye drops- 15 Kl/year. **4.** Herbal Cosmetics & Food- 200 MT/year.
(ग) मुख्य कच्चे माल	**1.**Paracetamol- 3600 Kg/year. **2.** Aceclofenac- 1200 Kg/year. **3.** Metformin- 3600 Kg/year.
(ध) औद्योगिक उत्प्रवाहः	Diesel for Dg set 250 & 30 KVA
(ड.) प्रयुक्त ईधन :	Nil.
(च) श्रेणी :	Category Orange; Scale Small, Investment Rs- 4.30 Crs.

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः स्थापना हेतु सहमति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण की व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित् करें।
3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें, जब तक कि वह बोर्ड से जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सहमति (CCA) प्राप्त न कर ले। जल एवं वायु सहमति (CCA) प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पूर्व निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्यक जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनिश्चित कराया जाये।
5. यह स्थापना हेतु सहमति पत्र पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
6. घरेलू उत्प्रवाह, मात्रा 1.0 कि0ली0/दिन से अधिक नहीं होगी। जनित उत्प्रवाह को उचित क्षमता के सेप्टिक टैंक के माध्यम से सोकपिट में निस्तारित किया जाये। औद्योगिक उत्प्रवाह कदापि निस्तारित न किया जाए।

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय रूड़की

7. उद्योग में औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धिकरण एवं निस्तारण हेतु ETP की स्थापना सुनिश्चित् की जाये एवं शुद्धिकृत उत्प्रवाह को शत् प्रतिशत् पुनः प्रयोग किया जाये।
8. उद्योग का संचालन इस प्रकार से किया जाये, कि परिवेशीय वायु गुणवत्ता सदैव बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे।
9. उद्योग से जनित ठोस अपशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार निस्तारित किया जाये, कि जल, वायु तथा मृदा प्रदूषण की सम्भावना न रहे।
10. उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जाये, कि प्रदूषण सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त न होवें। प्रदूषण सम्बन्धी जन -शिकायतें प्राप्त होने एवं पुष्टि होने पर स्थापना हेतु सहमति पत्र रिवोक (निरस्त) कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्यमी का होगा।
11. उद्योग परिसर में चारों तरफ कम से कम 3 कतारों वाली हरित पट्टिका विकसित की जाये। हरित् पट्टिका हेतु सघन तथा छायादार वृक्षो का चयन किया जाये। हरित् पट्टिका हेतु निर्धारित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाये।
12. उद्योग में खतरनाक/परिसंकटमय रसायन विनिर्माण, भण्डारण एवं आयात नियम 1989 का पालन किया जाये।
13. उद्योग में सुरक्षा सम्बन्धी समस्त उपाय किये जायें तथा उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।
14. उद्योग में बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना ब्वायलर/ओवन एवं अतिरिक्त जनरेटर सेट आदि की स्थापना कदापि नहीं की जाये।
15. यह स्थापनार्थ सहमति पत्र मात्र **Pharmaceuticals Formulation** प्रक्रिया से क्रमांक सं0-1 (ख) में उल्लेखित उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता हेतु मान्य है।
16. उधोग में बोर्ड की पूर्वानुमति के विना क्षमता विस्तारीकरण/प्रक्रिया परिवर्तन कदापि नही किया जाये।
17. यह स्थापनार्थ सहमति जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है। उद्योग सक्षम विभागों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करना सुनिशिचत् करें।
18. उद्योग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना सुनिश्चित् की जाए।
19. उद्योग में प्रयुक्त प्लास्टिक का निस्तारण मानकों के अनुरूप किया जाये।
20. उद्योग भू-जल प्रयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित् करें।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं सन्तोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत स्थापना हेतु सहमति (CTE) पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है, कि स्थापना हेतु सहमति पत्र (Consent to Establish) की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया दिया जाये।

उपयुक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तो के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में **दिनांक 28.09.2023** तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित् की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित् की जाये, अन्यथा स्थापना हेतु सहमति पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

29/08/2023

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः- सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय रुड़की